राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 15/2014/श्रीगंगानगर.

मैसर्स लुपिन एग्रो केमिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड, श्रीगंगानगर
(नया नाम–केमिनोवा इण्डिया लिमिटेड, श्रीगंगानगर). .....अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर बीकानेर.
2. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
   वार्ड–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 22/07/2015

निर्णय

1. यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के स्थगन क्रमांक 195/2013–14 में पारित किये गये आदेश दिनांक 26.11.2013 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, (प्रतिकरापवंचन) श्रीगंगानगर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.2013 अन्तर्गत नियम 34 राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) व नियम 35 वेट अधिनियम से सृजित मांग राशि रूपये 1,52,588/– की वसूली पर स्थगन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 38(4) को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध अधिनियम की धारा 78(5) के तहत आदेश दिनांक 14.07.1998 पारित करते हुए शास्ति रूपये 4,15,280/– का आरोपण किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 14.03.2000 से स्वीकार करते हुए सक्षम अधिकारी का आदेश दिनांक

आदेश दिनांक 14.3.2000 के विरूद्ध विभाग द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील माननीय राजस्थान कर बोर्ड के आदेश दिनांक 29.04.2002 से अस्वीकार की गयी। माननीय कर बोर्ड के उक्त आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी निगरानी आदेश दिनांक 5.09.2007 से स्वीकार की जाकर प्रकरण अपीलीय अधिकारी को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज [(2007) 18 टैक्स अपडेट 321)]** के प्रकाश में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया।

3. अपीलीय अधिकारी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में आदेश दिनांक 25.07.2008 पारित करते हुए व्यवहारी की अपील अस्वीकार करते हुए शास्ति राशि की पुनः बहाली की गयी। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश को अपील प्रभाव देते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 12.9.2008 पारित करते हुए शास्ति राशि रूपये 4,15,280/— की पुनर्स्थापना करते हुए ब्याज राशि रूपये 1,22,070/— का भी आरोपण किया गया।

4. सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 21.7.2009 से आंशिक स्वीकार करते हुए शास्ति की पुष्टि करते हुए ब्याज के बिन्दु पर प्रकरण सक्षम अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 16.03.2010 पारित करते हुए शास्ति व ब्याज को यथावत रखा गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 08.04.2011 से अपील स्वीकार करते हुए ब्याज अपास्त किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर माननीय कर बोर्ड के आदेश दिनांक 06.03.2013 से विभागीय अपील स्वीकार करते हुए मूल ब्याज राशि रूपये 1,22,070/— की वसूली मय ब्याज किये जाने हेतु प्रकरण सक्षम अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया।

5. माननीय कर बोर्ड के आदेश की अनुपालना में सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 10.10.2013 को आदेश पारित करते हुए मूल ब्याज राशि रूपये

व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए, उक्त राशि के स्थगन हेतु वेट अधिनियम की धारा 38(4) के तहत स्थगन प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किया गया। अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 26.11.2013 से अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में बकाया मांग राशि रूपये 1,52,588/– के स्थगन हेतु निवेदन किया गया है।

6. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि सक्षम अधिकारी द्वारा ब्याज का आरोपण अविधिक रूप से किया गया है, साथ ही ब्याज राशि पर पुनः ब्याज का आरोपण किया जाना भी अनुचित है। सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक 14.7.98 से सृजित शास्ति माननीय कर बोर्ड के अन्तिम आदेश दिनांक 06.03.2013 तक न्यायिक प्रक्रिया के विवादों में रही। ऐसी स्थिति में उक्त अवधि में शास्ति राशि की देयता पर ब्याज का आरोपण किया जाना प्रथम दृष्टया अनुचित है। अपीलीय अधिकारी ने भी प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक स्थिति का विश्लेषण किये बिना अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थी की अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

7. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सक्षम अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 14.03.2000 की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी को शास्ति राशि मय ब्याज के रिफण्ड प्रदान किया गया था। इसके पश्चात माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निर्णयों के आलोक में पुनः शास्ति राशि बहाल हो जाने की स्थिति में तथा माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 06.03.2013 के द्वारा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने की स्थिति में कि "व्यवहारी से राशि रूपये 1,22,070/– की वसूली ब्याज सहित की जावे।" की पालना में सक्षम अधिकारी द्वारा मूल ब्याज की राशि मय इस पर देय ब्याज के आरोपित किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। इस प्रकार सक्षम अधिकारी का आदेश माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 06.03.2013 की पालना में पारित किया गया है, अतः प्रथम दृष्टया

पूर्णतया विधिक है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

8. उभयपक्ष की बहस पर मनन करने, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय; माननीय राजस्थान कर बोर्ड; अपीलीय अधिकारी व सक्षम अधिकारी के आदेशों, अपील व स्थगन आधारों पर विचार किये जाने के उपरान्त, **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार की जाती है।

9. उपरोक्तानुसार अपीलार्थी की अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी 24/07/2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य